राजस्थान राज्य सूचना आयोग

ओटीएस केम्पस के पास, झालाना लिंक रोड,
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर (फोन एवं फैक्सनं. 0141 2719136)

क्रमांकपं. 6 ( )/रा.सू.आ./स्टोर/ 431 - 36 दिनांकः– 27/2/20

मैसर्स वी.के. एन्टरप्राईजेज
मकान 51ए–सरस्वती कॉलोनी तेजाजी की बगीची,
पुरानी बस्ती, जयपुर मो. 9829812908

विषयः–आयोग भवन में सफाई कार्य के अनुबन्ध के संबंध में।
प्रसंग :–आपका कोटेशन दिनांक 19.02.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा प्रस्तुत कोटेशन दिनांक 19.02.2020 में प्रस्तुत दरों का उपापन समिति के अनुमोदन उपरान्त आपको आयोग के भवन में सफाई कार्य, निविदा प्रपत्र में अंकित शर्त्तों के अनुसार दिनांक 02.03.2020 से 28.02.2021 तक एक वर्ष के लिए अनुबन्ध पर दिया जाता है। अनुबन्ध की दरें व शर्त्ते निम्नानुसार हैः–

क्र. स.	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की संख्या	दर प्रति व्यक्ति प्रति माह	ई.पी.एफ. 702.00	ई.एस.आई. 190.12	सर्विस चार्जेज प्रतिमाह प्रति व्यक्ति	कुल राशि प्रति व्यक्ति प्रतिमाह	दो व्यक्तियों की एक माह की कुल राशि
1	2	5850/–	12%	3.25%	0.68	6742.80/–	13485.60/–

जी.एस.टी. यदि लागू होता है तो नियमानुसार अलग से देय होगा।

शर्ते :–

1. फर्म द्वारा श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नही किया जावेगा। जिसका प्रमाण पत्र प्रत्येक माह के बिल के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
2. कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा की राशि यदि संबन्धित विभाग में जमा नही करवाई जाती है तो उसकी आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
3. आप द्वारा उपरोक्तानुसार मानव संसाधन उपलब्ध करवाना आवश्यक है। जिनकी आधार कॉपी प्रतिलिपि एवं मो0 नं. भी उपलब्ध करवाना आवश्यक है।
4. ठेकेदार को सफाई से सम्बन्धित कन्ज्यूमेबल सामग्री जैसे सफेद फिनाईल,फ्लोर क्लीनर ऐसिड,झाडू,पोछा, डिटोल, फिनाईल गोली, हार्पिक, थिनर, कोलिन व सर्फ एवं सफाई यंत्रों आदि की स्वयं के खर्चे पर व्यवस्था करनी होगी। काली फिनाईल बिल्कुल भी उपयोग में नहीं ली जायेगी, केवल सफेद फिनाईल का ही उपयोग किया जायेगा। इन सामग्रीयों के लिए अलग से भुगतान देय नहीं होगा।
5. कार्य संपादन तिथि से पूर्व, आपको रूपये 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र निष्पादित कराना होगा।
6. आपको, कार्य संपादन तिथि से पूर्व धरोहर राशि रूपये 10,000/– (शब्दों में दस हजार रूपये मात्र) का बैंकर चैक/डी.डी. सात दिवस में सचिव, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर के नाम से प्रस्तुत करना होगा।
7. यदि कार्य संतोषजनक पाया गया तो अनुबन्ध की अवधि एक वर्ष और बढाई जा सकती है।
8. आपको एक वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमे यह स्पष्ट अंकित किया जाएगा कि मुझे किसी भी विभाग द्वारा ब्लेक लिस्टेड नही किया गया है।

भवदीय,

(राधेप्रताप सिंह)
सचिव
राजस्थान राज्य सूचना आयोग
जयपुर

प्रतिलिपि:–निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रोग्रामर, आयोग जयपुर को तुलनात्मक विवरण व कार्य आदेश को उपापन पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
2. प्रशासनिक अधिकारी आयोग
3. स्टोरकीपर/केयरटेकर आयोग
4. केशियर, आयोग
5. रक्षित पत्रावली

सचिव

Dave/20